



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6154

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30202 वर्ष 2025

मौना उर्फ लाल सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सौरभ पांडे, सुरेश चंद्र पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ पांडे और राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह जमानत याचिका आवेदक मौना उर्फ लाल सिंह की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे के मुकदमा अपराध संख्या 301/2023, धारा 147, 148, 149, 302, 201 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत गोंडा पुलिस स्टेशन, जिला अलीगढ़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

यह आवेदक की दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने 7.5.2025 को खारिज कर दिया था और अवर न्यायालय को निर्देश दिया था कि आवेदक के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जाए।

आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए उसके इकबालिया बयान के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष, तथ्यात्मक गवाह सहित चार अभियोजन गवाहों की जांच की जा चुकी है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 06.09.2023 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उसे मुकदमे से पहले के चरण में निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए; मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; पुलिस द्वारा एकतरफा जांच, जिसमें आरोपी पक्ष के मामले की अनदेखी की गई है; आवेदक के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचाराधीन होने के कारण उसे शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार है; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार को ध्यान में रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करे, प्रत्येक समान राशि का, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या न्यायालय के निर्देशानुसार। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।
- (iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित हैं। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

9 जनवरी 2026

रुचि अग्रहरि

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।